# न्यायालयः–उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर जिला–सलूम्बर (राज.)

**बजरिये श्री पर्वत सिंह चूण्डावत आर.ए.एस**
**प्रकरण संख्या 76/2021**
उनवान

श्री रुपा पिता मोता पटेल (डांगी), उम्र 60 वर्ष, जाति डांगी, निवासी ईसरवास, तह. सलुम्बर जिला सलुम्बर (राज.)

**–प्रार्थी**

**विरूद्ध**

1. श्रीमती वक्तु पत्नि पेमा डांगी, उम्र बालिग, निवासी ईसरवास रावान, तह. सलुम्बर, जिला सलुम्बर (राज.)
2. श्रीमती डाई बाई पत्नि काना डांगी, उम्र बालिग, निवासी ईसरवास रावान, तह. सलुम्बर जिला सलुम्बर (राज.)
3. श्री काना पिता धुला डांगी, उम्र बालिग, निवासी ईसरवास रावान, तह, सलुम्बर, जिला सलुम्बर (राज.)
4. श्री केवा पिता धुला डांगी, उम्र बालिग, निवासी ईसरवास रावान, तह. सलुम्बर, जिला सलुम्बर (राज.)

**–विपक्षीगण**

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1, 2 व धारा 151 जा.दी. एवं धारा 212 आर.टी.ए एक्ट**

**–::निर्णय::–**

**दिनांकः–09.07.2024**

**उपस्थितिः**– श्री प्रकाश कुमार चौबिसा अधिवक्ता – प्रार्थी
श्री गोपाल चौबिसा अधिवक्ता–विपक्षी सं. 1 लगायत 4 तक

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व आदेश 39 नियम 1, 2 एवं सपठित धारा–151 जा.दी. प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी एवं विपक्षीगण के खानदान का सजरा प्रार्थना पत्र की क्रम संख्या 1 मे दर्शित अनुसार है। स्व. नाथु पटेल डांगी निवासी ईसरवास रावान की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि मौझा ईसरवासर टापरान व ईसरवास डांगीयान में स्थित है जिनके दो पुत्र गांगा व दला हुए जिसमें गांगा के तीन पुत्र गोता, पेमु और धुला हुए जिसमें स्व. गोता का पुत्र रूपा प्रार्थी है, पेमा के कोई औलाद नहीं हुई जिसकी पत्नि वक्तु विपक्षी सं. 1 है, धुला के दो पुत्र केवा व काना विपक्षी सं. 3 व 4 है। नाथु का दुसरा लडका दला लाऔलाद फौत हुआ। जिसके हिस्से के सम्बन्धि यह वाद पेश किया गया है। दला लाऔलाद फौत हुआ जिसमें अपने जीवन काल में किसी को भी गोद नहीं लिया न ही उसकी कोई पुत्र–पुत्री सन्तान हुई जिस कारण दला की सम्पत्ति में नाथु के दुसरे लडके गांगा के तीनों पुत्रों गोता, पेमा व धुला का विरासत से बराबर–बराबर 1/3–1/3 हिस्सा निहित है एवं इसी अनुसार तीनों के वारिसान 1/3–1/3 हिस्से के हिस्सेदार है।गांगा के पुत्र पेमा ने धोखाधड़ी कर राजस्व रिकार्ड में दला का जाइन्दा पुत्र बताकर नामान्तरण संख्या 674 द्वारा अपना नाम दर्ज करवा लिया और राजस्व रिकार्ड में दला पिता नाथु के जाइन्दा पुत्र के रूप में स्वयं को बतलाकर दल्ला के हिस्से में अपने अकेले का नाम दर्ज करवा दिया जबकि इसमें गौता व धुला का भी बराबर विरासत से 1/3–1/3 हिस्सा निहित है। प्रार्थी अपने 1/3 हिस्से की घोषणा हेतु यह वाद प्रस्तुत कर रहा है क्योंकि पेमा दला का जाइन्दा पुत्र नहीं था और उस समय राजस्व अधिकारियों से मिलीभगत कर अपने को दला का जाइन्दा पुत्र बताकर राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दर्ज करवाया उसकी जानकारी प्रार्थी एवं

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

प्रार्थी के पिता को कभी नहीं हुई न ही कभी किसी ने इस बारे में बताया और प्रार्थी को अपना राजस्व रिकार्ड देखने की भी आवश्यकता नहीं पडी।

यह कि पेमा पिता गांगा के स्वर्गवास के बाद दला से आई हुई राजस्व रिकार्ड में दर्ज सम्पत्ति उसकी पत्नि वक्तु के नाम पर दर्ज हो गई क्योंकि पेमा के कोई पुत्र–पुत्री उत्पन्न नहीं हुये और अभी वर्तमान में श्रीमती वक्तु पत्नि पेमा डांगी विपक्षी सं. 1 ने काना पित्ता धुला की पत्नि डाई बाई को जरिये दो अलग–अलग बक्षीश विलेखों के दिनांक 22–10–2021 को हस्तान्तरित कर दी है जिसमें डाई बाई को अपनी सगे पुत्र काना की पत्नि बताया है जबकि काना धुला का पुत्र है और काना और केवा दोनों सगे भाई है, इस प्रकार से वक्तु बाई ने बक्षीश नामें पर मिलने वाली छुट का गलत फायदा उठाने की नियत से धोखाधडी करते हुये काना को अपना सगा पुत्र और डाई बाई को अपनी पुत्रवधु बताकर बक्षीशनामा करवाया है जिस पर स्टाम्प ड्युटी शुन्य लगी है जबकि वास्तव में श्रीमती डाई बाई वक्तु की सगी पुत्रवधु नहीं है, न ही काना वक्तु का सगा पुत्र है जबकि बक्षीश विलेख में मिथ्या कथन किये गये है। विवरण कृषि भूमि का प्रार्थना पत्र की क्रम संख्या 6 (क) व (ख) के अनुसार है।

यह कि उक्त वर्णित कृषि भूमि में रूपा पिता गोता प्रार्थी का दला के वारिश के तौर पर विरासत से 1/3 हिस्सा निहित है जिसकी घोषणा कराने का प्रार्थी अधिकारी है। जिस हेतु प्रार्थी विपक्षीगणों के विरूद्ध यह वाद प्रस्तुत कर रखा है तथा साथ ही यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत कर रहा है। वादहेतुक सर्वप्रथम दिनांक 02.12.2021 को उत्पन्न हुआ जब प्रार्थी ने नामान्तरण सं. 674 एवं अन्य राजस्व रिकार्ड की नकले पटवारी हल्का से प्राप्त की। यह कि प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा सन्तुलन एवं अपुरणीयक्षति प्रार्थी के पक्ष में है एवं विपक्षीगणों के विरूद्ध है जिस कारण मुल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना आवश्यक हो गया है। अतः आप श्रीमान् से सानुरोध निवेदन है कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 6 के कॉलम (क) व (ख) वर्णित कृषि भूमि पर विपक्षीगण मुल वाद के निस्तारण तक किसी प्रकार का कोई निर्माण, अतिक्रमण दखलन्दाजी नहीं करे इस बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा फरमाये जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

प्रार्थना पत्र बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन सूचित किया गया। विपक्षी सं. 1 से 4 तक की ओर अधिवक्ता श्री गोपाल चौबिसा ने अधिकारपत्र एवं जवाब पेश कर अंकित किया कि

प्रार्थना पत्र की कलम सं. 2 दो में सजरा खानदान प्रार्थी ने जानबुझकर गलत व झुठा पेश किया है जो स्वीकार नहीं है। सही व असली सजरा जवाब की क्रम संख्या 2 दर्शित अनुसार है तथा कि उक्त सजरे के अनुसार मुल पुरूष नाथु डांगी के 2 दो बेटे गांगा व दला पैदा होना स्वीकार है एवं गांगा के 3 तीन पुत्र पैदा होना स्वीकार नहीं है। गांगा के 2 दो गोता व स्व. धुला पैदा हुए थे, पेमा स्व. गांगा का पुत्र नहीं होकर गांगा के छोटे भाई दलाजी एवं उनकी पत्नी नवली बाई का इकलौता पुत्र था एवं दला के निधन के बाद विरासत का इन्तकाल नं. 674 दिनांक 28–01–1983 नायब तहसीलदार सलुम्बर ने पेमा पिता दला के नाम स्वीकृत किया जिसे 38 वर्ष पूरे हो चुके है उसके बाद हाल पेमाईश शुरू हुई जिसमें पेमा पिता दला डांगी राजस्व रिकार्ड में खातेदार काश्तकार अंकित हुआ एवं प्रार्थी ने आज तक उक्त इन्तकाल नं. 674 निरस्त कराने की कोई अपील पेश नहीं की एवं जब पेमा का आज से 20–22 वर्ष पूर्व निधन हो गया उसके बाद उसकी विधवा श्रीमती वगतु बाई विपक्षी नं. 1 एक ने अपने पति का वश चलाने के लिये पति की इच्छानुसार श्री धुला के छोटे पुत्र काना को जाति रिवाज से गोद लिया एवं गोदनामें के पंजीयन कराया उसके बाद आज से करीब 38 वर्ष बाद प्रार्थी ने यह झुठा वाद पेश किया है जो अवश्य खारिज होगा, स्व. गांगा के छोटे पुत्र धुला का केवा विपक्षी नं. 4 पुत्र होना स्वीकार है एवं धुला का दुसरा पुत्र काना विपक्षी न. 3 होना व काना की डाई बाई विपक्षी न. 2 औरत होना स्वीकार है। सही सजरा व स्व. नाथु डागी मुल पुरूष के वारिशों का रिश्ता इस जवाब दावा के पैरा नं. 1 एक में लिखा है। पेमा के कोई औलाद पैदा नहीं हुई थी यह स्वीकार है परन्त पेमा के जीवनकाल में पेमा व उसकी पत्नि श्रीमती वगतु बाई विपक्षी नं. 1 ने जाति रिवाज एवं हिन्द रीति रिवाज से स्व. धुला पिता गांगा के पुत्र काना विपक्षी नं. 3 तीन को गोद लिया है। दला लाऔलाद फौत होना स्वीकार नहीं है। दला का इकलौता जाइन्दा पुत्र पेमा था जिसका निधन आज से 20–22 वर्ष पूर्व हो चुका है। शेष वाद पत्र अनावश्यक होने से जवाब की आवश्यकता नहीं है। स्व. दला के

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

क्लासवन का वारिश उनका इकलौता पुत्र पेमा था एवं पेमा के निधन के बाद पेमा के क्लास वन के वारिश उनकी विधवा श्रीमती वगतु बाई विपक्षी नं. 1 एक एव दत्तक पुत्र काना विपक्षी नं. 3 तीन है। क्लासवन के कोई भी एक वारिश जिन्दा होते हुए क्लास 2 दो का कोई भी वारिश नहीं बन सकता है।

इन्तकाल नं. 674 फैसल दिनांक 28–01–1983 यदि स्व. पेमा ने धोखाधडी से उक्त इन्तकाल स्वीकृत कराया था तो प्रार्थी को अथवा उसके पिता को उक्त इन्तकाल तुरन्त निरस्त कराने की अपील सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिये, जब पेमा का निधन आज से 20–22 वर्ष पूर्व हो गया एवं पेमा के जीवन काल में प्रार्थी ने अथवा उसके पिता गोता ने यह आपत्ति नहीं की कि पेमा का असली पिता दला न होकर गांगा है इसलिये प्रार्थी झुठ का सहारा लेकर इस बाद में कभी कामयाब नहीं हो पावेगा। प्रार्थी इस वाद में क्लीन हेण्ड से नहीं आया है एव असलियत को छुपाकर यह वाद पेश किया है। इसलिये प्रार्थी का यह वाद काबिल निरस्त के है। प्रार्थी का यह कथन झुठा, गलत निराधार होने से स्वीकार नहीं है। सलुम्बर तहसीलदार दुबारा सर्वे सन् 1983–84 में शुरू हुई एवं नया रिकार्ड सन् 1996 के आस–पास सलुम्बर में प्रभाव में आ गया उसमें स्व. पेमा पिता दला डांगी के राजस्व रिकार्ड में जितना हिस्सा मुल पुरूष गोता का था उसका 1/2 आधा हिस्सा पेमा पिता दला अकेले के खाते दर्ज था एवं नया रेकार्ड प्रभाव में आये करीब 26 वर्ष से अधिक समय हो चुका है इसलिये प्रार्थी को वादग्रस्त भूमि पेमा पिता दला डांगी के खाते नहीं होने की जानकारी नहीं होना स्वीकार नहीं है। प्रार्थी का यह वाद प्रथम दृष्ट्या काबिल निरस्त के है। वादग्रस्त कृषि भूमि में प्रार्थी का 1/3 एक बटा तीन हिस्सा होना स्वीकार नहीं है। प्रार्थी का वादग्रस्त भूमि में मात्र 1/4 एक बटा चार हिस्सा ही है एवं था।

प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 6 (क) में मौझा इसरवास टापरान तह. सलुम्बर में स्थित कृषि भूमि में स्व. नाथु पिता डांगी के नाम इस प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 6 (क) के खाता नं. नया 52, 107, 121, 122, 128 में जितना हिस्सा विरासत से स्व. दला के पुत्र पेमा को प्राप्त हुआ एवं पेमा के निधन के बाद पेमा की विधवा वगतुबाई को प्राप्त हुआ वह पुरा हिस्सा विपक्षी नं. 3 तीन को दान देना स्वीकार है। इन आराजी में प्रार्थी को श्रीमती वगतु बाई द्वारा श्रीमती डाई बाई का दान दिये हिस्से निरस्त कराने अथवा प्रार्थी जो स्व. पेमा का क्लास 2 दो का जो दुर का परिजन है उसे क्लास वन की वारिश वगतु के जिन्दा रहते कोई अधिकार प्राप्त नहीं है।

प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 6 (ख) में वर्णित कृषि भूमि मौझा ईसरवास डांगीयान की हाल खाता न. 121, 44, 88, 92, 43 में स्थित भूमि स्व. नाथु के समय की होना स्वीकार है एवं नाथु के निधन के बाद विरासत से नाथु के पुत्र गांगा व दला को मिलना स्वीकार है एवं दला के निधन के बाद दला का हिस्सा उसके पुत्र पेमा को मिलना व पेमा के निधन के बाद पेमा की विवा विपक्षी नं 1 एक वगतु बाई को मिलना व वगतुबाई द्वारा विपक्षी नं. 2 दो डाई बाई को दान देना स्वीकार है परन्तु उक्त वगतु बाई द्वारा जो हिस्सा डाई बाई का दान दिया है उस हिस्से में से प्रार्थी अपने अवैध हिस्से की घोषणा कराने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थी का वाद पत्र काबिल निरस्त के है। यदि प्रार्थी को लगता है कि वगतु के नाम गलत हिस्सा दर्ज हुआ है तो प्रार्थी को सक्षम न्यायालय में जाकर सबसे पहले यह साबित कराना पड़ेगा कि पेमा पिता दला डांगी नाम का कोई व्यक्ति गांव इसरवास तह. सलुम्बर में पैदा नहीं हुआ था एवं पेमा के असली पिता का नाम पेमा पिता गांगा डांगी निवासी ईसरवास था इसलिये इन्तकाल नं 674 से दिनांक 28–01–1983 को जो जमीन पेमा पिता दला के नाम गई वह पूर्ण रूप से अवैध है एवं दला पिता नाधु डांगी का एकमात्र वारिश दला का बडा भाई गांगा पिता नाथु डांगी था अथवा उस समय दला मर गया था इसलिये दला के पुत्र गोता, पेमा, घुला वारिश थे। उक्त घोषणा सक्षम सिविल न्यायालय से प्रार्थी नहीं कराता तब तक इस वाद में प्रार्थी कोई दाद प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

इन्तकाल नं. 674 दिनांक 28–01–1983 को स्वीकृत हुआ उसी दिन से प्रार्थी को जानकारी थी एवं हाल पैमाईश का आधार वर्ष का रिकार्ड 1996 में यानि संवत 2046 के आसपास प्रभाव में आया तब से थी जिससे प्रार्थी का यह वाद अवधि से परे होने से काबिल निरस्त के है। प्रार्थी का प्रथम दृष्ट्या मामला नहीं है एवं सुविधा सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में नहीं है। प्रार्थी का आज तक कभी कब्जा नहीं रहा है तथा विपक्षीगण स. 2, 3 जो रिकॉर्डेड

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

खातेदार काश्तकार है जिनका कब्जा भी है। इस प्रकार प्रार्थी किसी भी तरह की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र सव्यय निरस्त फरमाया जावे एवं विपक्षीगण को विशेष हर्जाना दिलवाया जावे।

पत्रावली पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस मे अपने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराया एवं निवेदन किया कि गंगा के तीन लेडके। पेमा ने दला का लडका बताकर भूमि अपने नाम करावा लिया, जबकि दला लाऔलाद फौत हुआ। पेमा के फौत होने पर भूमि वक्तु के नाम आ गई। वक्तु ने प्रतिवादी सं. 2, 3, 4 के नाम बक्षीश विलेखो से भूमि हस्तान्तरित कर दी है। प्रतिवादी (2) डाई बाई (प्रतिवादी सं. 2) को पुत्र वधु बताया है, जो की पुत्र वधु नही है। काना न तो वक्तु पुत्र है न ही डाई बाई वक्त कि है। वक्तु के कोई औलाद नही है। काना वक्तु का पुत्र नही है, काना तो धुला का पुत्र है। उक्त बक्षीश मिथ्या मे मिथ्या कथन किये है एवं स्टाम्प ड्यूओ की भी चोरी हुई है। पुरा मामला साक्ष्य पर आधारित है जब तक दावे का निस्तारण न हो तब तक विपक्षीगण को राजस्व रेकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे हेतु पांबद फरमाया जावे।

अधिवक्ता विपक्षीगण ने बहस मे अपने जवाब मे वर्णित तथ्यो को दौहराते हुए कथन किया कि तत्समय नायब तहसीलदार ने नामान्तकरण किया। इन्तकाल नं. 674 दिनांक 28–01–1983 को फैसल हुआ, यदि स्व. पेमा ने धोखाधडी से उक्त इन्तकाल स्वीकृत कराया था तो प्रार्थी को अथवा उसके पिता को उक्त इन्तकाल तुरन्त निरस्त कराने की अपील सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिये थी जो प्रार्थी ने इतना लम्बे समय होने के बाद भी कभी नही की। इन्होने जो अस्थाई निषेधाज्ञा मांगी है वह केवल निर्माण नही करने की मांगी है। इन्होने रिकॉर्ड के संबंध में प्रार्थना पत्र में कोई अनुतोष नही मागा है। वर्तमान में वहां कोई निर्माण या अतिक्रमण विपक्षीगण नही कर रहे है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

बहस मनन की गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं राजस्व रेकॉर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र केवल निर्माण नही करने व अतिक्रमण नही करने का अनुतोष चाहा है तथा बहस मे रिकॉर्ड की यथास्थिति का अनुतोष चाहते है। विपक्षीगण ने भी अपने जवाब एवं बहस मे कथन किया है कि वर्तमान मे मौके पर कोई निर्माण या अतिक्रमण विपक्षीगण द्वारा नही किया जा रहा है। अतः जो अनुतोष प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र मे आवेदन ही नही है उसकी दाद दिया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

**अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी का खारिज किया जाता है।**

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर सलूम्बर ● सलूम्बर, जिला-सलूम्बर (राज.) ●

(पर्वत सिंह चूण्डावत RAS)
उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर
सहायक कलक्टर
जिला–सलूम्बर
जिला सलूम्बर